"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 643] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 नवम्बर 2022 — कार्तिक 16, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. 11965/डी. 109/21—अ/प्रारू./छ.ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा में पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 29—09—2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 18 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022.

विवरण

अध्याय–एक
प्रारंभिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ एवं लागू होना.
2. परिभाषाएं.

अध्याय–दो
संस्थागत ढांचा

3. राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण.
4. जिला भू–जल प्रबंधन परिषद्.
5. विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति

अध्याय–तीन
कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

6. भू–जल विंग के कर्तव्य.

अध्याय–चार
शक्तियां और कृत्य.

7. शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन
8. भू–जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिये क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियां.
9. अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और थोक भू–जल उपयोगकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण.
10. अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध.

11 अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं का तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन.

12. गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल निकालने के प्राधिकार को स्वीकृत किया जाना.

13. वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, खनन, थोक भू–जल उपयोगकर्ताओं हेतु भू–जल निकालने की सीमा नियत किया जाना तथा आदेशों या निर्देशों इत्यादि की तामिली.

14. भू–जल निकासी / निष्कर्षण पर शुल्क.

15. प्राधिकरण के कर्मचारी लोक सेवक होंगे.

16. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

17. समाघात निर्धारण

अध्याय–पांच
उल्लंघन, अपराध एवं शस्तियां

18. वेधन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण

19. विधि विरुद्व खनन, भू–जल निकासी, आपूर्ति, विकय, उपयोग आदि के लिये अपराध एवं शास्ति.

20. अपराधों का संज्ञान.

21. अपराधों का प्रशमन.

22. कंपनियों द्वारा अपराध.

23. भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी.

अध्याय–छः
प्रकीर्ण

24. समुचित निकाय को सूचना मांगने की शक्ति.

25. स्वतः विनियमन.

26. पूर्व विद्यमान अधिकार.

27. भू–जल संवर्धन कोष.

28. राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति.

29. राज्य सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति.

30. अधिनियम का अन्य नियमों पर प्रभाव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2022)
छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022.

राज्य के विशेष रूप से संकटग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में, परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में, भू-जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू–जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

यतः, भू–जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप भू–जल के स्तरों में आई गिरावट से भयप्रद स्थिति उत्पन्न हो गयी है और राज्य के अनेक भागों के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में, भू-जल के स्त्रोतों में कमी आ गयी है;

और यतः, भू–जल, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों हेतु एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल स्त्रोत होने के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेय जल, खाद्य तथा जीविका सुरक्षा का मेरूदण्ड है;

और यतः, अतिशय भू-जल निष्कर्षण और भू–जल संदूषण के कारण गम्भीर भू–जल संकट विद्यमान है;

और यतः, भू–जल का विकास राज्य की आवश्यकता है, इसलिए विशेष रूप से अतिदोहित तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन किया जाना भी इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समय की माँग है;

और यतः, संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू–जल की समुचित वृद्धि/पुनर्भरण के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए, और राज्य में भूगर्भ जल की पूर्णकालिक गुणवत्ता को अनुरक्षित या पुनर्स्थापित करते हुए भू–जल प्रदूषण निवारण के लिए उपबन्ध करना भी समीचीन है;

और यतः, भू–जल के साम्यपूर्ण तथा पर्यावरणीय रूप से ठोस भू–जल विनियमन से वर्तमान समय की जलवायु परिवर्तन सहित कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी;

और यतः, जल एकिक प्रकृति का होता है, जिसके लिए भू–पृष्ठ जल तथा भू–गर्भ जल का एकीकृत रूप में होना अपेक्षित है, जो भूमि और वनस्पति से अभिन्न रूप में संयोजित होता है और उसका वर्षा जल (प्राकृतिक पुनर्भरण के माध्यम से) से जटिल रूप में जुड़ाव होता है;

और यतः, भू–जल लोगों की सार्वजनिक विरासत है, यह अपने सभी रूपों में जीवन को बनाये रखने के लिये आवश्यक है; यह परिस्थितिक तन्त्र का एक अभिन्न अंग है;

और यतः, भू–जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप से एक सामूहिक संसाधन है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भू–गर्भ जल लोक न्यास सिद्धांत को इस मान्यता के साथ लागू किया है कि भू–जल में निजी संपत्ति अधिकार भू–जल की उभरती स्थिति, संघर्ष एवं परिवर्तनशील को देखते हुये अनुपयुक्त है;

और यतः, राज्य सरकार ने समस्त सम्बन्धित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि भू–जल का किसी भी रूप में न्यायसंगत निष्कर्षण और उपयोग का प्रबंधन तथा विनियमन करना और राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू–जल का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना भी लोकहित में समीचीन तथा आवश्यक है और उसे नियोजन तथा प्रबंधन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी;

और यतः, भू–जल संसाधनों की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अविरतता और भू–जल उपयोग में साम्या को सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधिक ढ़ांचा (सन्नियमों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं और समकालीन तथा आसन्न चुनौतियों को इंगित करने वाली उपयुक्त संस्थाओं सहित) अपेक्षित है;

और यतः, राज्य सरकार ने समस्त संबंधित पहलुओं पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि लोकहित में भू–जल उपयोग का प्रथम अधिकार पीने के लिए, घरेलू तथा पशु उपयोग हेतु होगा।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय–एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ एवं लागू होना.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा विभिन्न प्रावधानों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन निर्मित किये गये दण्डात्मक प्रावधान, भू–जल के घरेलू तथा कृषि उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे ।

परिभाषाएं.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "समुचित निकाय" से अभिप्रेत है प्रासंगिक संदर्भ में जहां कहीं भी यह उल्लिखित है, राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद और विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति;

(ख) "जलभृत" से अभिप्रेत है खण्डित चट्टानों, रेत, बजरी तथा तद्समान तलछटों से समाविष्ट भौगोलिक संरचना, संरचना समूह या आंशिक संरचना समूह की भूमिगत सतह, जो पर्याप्त सरंध्र, पारगम्य और जल से संतृप्त है और जो किसी कूप या जल स्त्रोत को पर्याप्त मात्रा में जल प्रेषित करता है/प्रतिगृहीत करता है/प्रदान करता है;

(ग) "भूजल समिति" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में भूगर्भ जल जागरूकता कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु गठित व्यक्ति समूह;

(घ) "सामूहिक उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत है किसी अधिष्ठान यथा होटलों/लॉज/हॉस्टल/ निजी आवासीय भवनों/आवासीय कालोनियों/ रिजार्टों/निजी चिकित्सालयों/परिचर्या गृहों/ कारबार प्रक्षेत्रों/मॉल्स/वाटर पार्क सहित कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह, जो अपनी क्रियात्मक जल आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ भू–जल का निष्कर्षण और उपयोग करते हैं;

(ङ) "केन्द्रीय भू–जल बोर्ड" से अभिप्रेत है केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, भारत शासन;

(च) "वाणिज्यिक उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत है ऐसी कोई संस्था या कोई अभिकरण या कोई अधिष्ठान, जो उक्त प्रयोजनार्थ भू–जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है, सहित ऐसे किसी व्यक्ति

या व्यक्ति समूह, जो वित्तीय उपलब्धि या लाभ हेतु अपने कारोबार या व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है;

(ज) "जिला भू–जल प्रबंधन परिषद्" से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद्;

(झ) "वेधन अभिकरण" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संस्था से है, जो किसी प्रयोजन यथा घरेलू/पीने हेतु/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सामूहिक/अवसंरचनात्मक उपयोग के लिए भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करने हेतु कूपों/नलकूपों का वेधन करने के व्यवसाय के भाग के रूप में संलग्न हैं;

(ञ) "पर्यावरणीय प्रवाह" से अभिप्रेत है लोगों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने वाले जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों के संघटकों, कृत्यों, प्रक्रियाओं तथा नम्यता को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित जल प्रवाहों की गुणवत्ता, परिमाण तथा समय निर्धारण को निर्दिष्ट करने वाले प्रवाह;

(ट) "भू–जल विभाग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन के अधीन जल संसाधन विभाग जो भू–जल से संबंधित गतिविधियों के लिये भी कार्यरत है;

(ठ) "भू-जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र" से अभिप्रेत इस प्रकार के किसी क्षेत्र से है, जहाँ भू–जल गुणवत्ता, भूजनित या मानव जनित कारणों के

फलस्वरूप रासायनिक तत्वों, भौतिक–रासायनिक संघटकों, भारी धातुओं और जीवाण्विक संदूषण के उच्च स्तरीय/अतिशय संकेन्द्रण से प्रभावित है;

(ड) "भू-जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट" से अभिप्रेत है खण्डों का अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्द्ध संकटग्रस्त और सुरक्षित श्रेणियों में श्रेणीकरण सहित भू–जल संसाधन खण्डवार निर्धारण के लिए भू-जल विभाग (जल संसाधन विभाग), छत्तीसगढ़ और केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा तैयार की गयी भूगर्भ जल प्राक्कलन समिति की पद्धति तंत्र पर आधारित नवीनतम अनुमोदित रिपोर्ट;

(ढ) "भूगर्भ जल सुरक्षा योजना" से अभिप्रेत है उपलब्ध जल भूगर्भीय सूचनाओं पर क्रमिक रूप से आधारित कोई योजना और उसमें ऐसे उपाय/मध्यक्षेप सम्मिलित हैं, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में तथा जल भूगर्भीय रूप में संभाव्य है;

(ण) "भू जल" से अभिप्रेत ऐसे जल से है, जो किसी संतृप्त परिक्षेत्र में जलभृत या भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है और जिसे कूपों या किन्हीं अन्य साधनों से निकाला जा सकता है अथवा धाराओं और नदियों में झरनों तथा मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है;

(त) "उद्योग" से अभिप्रेत है किसी ऐसे कारबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या नियोजकों की आजीविका, जो

किसी अभिलाभ या लाभ हेतु चलाया जाता हो और उसके अन्तर्गत कोई आजीविका सम्बन्धी सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिक का उप व्यवसाय या माल के उत्पादन के लिये किसी नियोजक और उसके श्रमिक (चाहे ऐसा श्रमिक उक्त नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किया गया हो या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं, के द्वारा अथवा उसके माध्यम से) के मध्य सहयोग द्वारा चलाया जाने वाला क्रमबद्ध क्रियाकलाप भी सम्मिलित है;

(थ) "अवसंरचनात्मक उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत ऐसी कोई फर्म या कंपनी सहित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है, जो अवसंरचनात्मक विकास से सीधे संबंधित क्रियाकलापों / परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ भू-जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है;

(द) "जिला पंचायत" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के जिले के जिला पंचायत;

(ध) "अधिसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है धारा 6 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र, जिसमें अति–दोहित, जटिल खंड और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है;

(न) "प्रदूषण" से अभिप्रेत है भू-जल या भू–पृष्ठ जल या ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन या किसी मल, प्लास्टिक,

थर्मोकोल या व्यापारिक वहिःस्राव या गैसीय या ठोस पदार्थ युक्त किसी अन्य तरल पदार्थ का भू-जल में (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) निस्सारण, जिससे उपताप हो सकता है या उपताप उत्पन्न होना सम्भावित हो या ऐसे भू-जल, जो लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा हेतु या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिगत या अन्य विधिसम्मत उपयोगों के लिए या पशुओं या पौधों या जलीय जीवों के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या क्षतिकारक हो सकता है;

(प) "वर्षा जल संचयन" से अभिप्रेत है भू-जल भण्डारण या उसके पुनर्भरण हेतु छत के ऊपर संचयता सहित सूक्ष्म जल विभाजक पैमाने पर वर्षा जल संग्रहण और भण्डारण तकनीक या प्रणाली;

(फ) "ग्रामीण क्षेत्रों" से अभिप्रेत उन क्षेत्रों से है, जो नगरीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं है;

(ब) "राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण;

(भ) "नगरीय क्षेत्रों" से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्रों से है, जो यथास्थिति, किसी सक्षम प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी नियामक निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायें, जिनमें ऐसे क्षेत्र/भूमि सम्मिलित नहीं है, जो किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर

पालिका या किसी विनियमित क्षेत्र की मुख्य योजना में कृषि उपयोग हेतु वर्गीकृत किये गये हों;

(म) "भू–जल" उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या संस्था से है, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये जाने वाले घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिए भू-जल का स्वामित्व रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या विक्रय करता है/करते हैं और उसमें/उनमें कोई सरकारी या गैर सरकारी उद्योग, वाणिज्यिक उपयोक्ता/उपयोगकर्ता सामूहिक उपयोक्ता/उपयोगकर्ता कंपनी का कोई प्रतिष्ठान सम्मिलित है, किन्तु उसमें/उनमें ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग या संस्था सम्मिलित नहीं है, जो हस्तचालित या पशुचालित युक्तियों यथा हैण्डपम्प, रस्सी तथा बाल्टी और रहट आदि द्वारा कूप से निकाले गये भूगर्भ जल का प्रयोग करता है/करते हैं;

(य) "जल और स्वच्छता समिति" से अभिप्रेत है जल और स्वच्छता योजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण, क्रियान्वयन और अनुरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/पालिका/निगम में गठित कोई समिति;

(र) "जल उपभोक्ता संस्था" से अभिप्रेत है तालाबों/नलकूप या नलकूपों के समूह के अनुरक्षण

और संरक्षण के लिए तालाब/नलकूप स्तर या नलकूपों के समूह स्तर पर गठित कोई व्यक्ति–समूह;

(कक) "कूप" से अभिप्रेत है भू-जल के खोज या निष्कर्षण या पुनर्भरण के लिए निर्मित किसी संरचना और उसके अन्तर्गत खुला कूप, डगबेल, बोरबेल, डग कम बोरबेल, नलकूप, अन्तः स्पन्दन गैलरी पुनर्भरण कूप अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपान्तरण भी है, जिसका उपयोग भू-जल निष्कर्षण तथा भू-जल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जो इस संबंध में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उनके लिये, यथास्थिति, समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

संस्थागत ढांचा

राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद् एवं विकास खण्ड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से छत्तीसगढ राज्य भू–जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद् एवं विकास खण्ड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का गठन करेगी ।

(2) राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(1) मुख्य सचिव, अध्यक्ष

(2)	भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य	पंजीकरण समिति.
(3)	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	सदस्य	
(4)	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य	
(5)	भारसाधक सचिव, कृषि विभाग	सदस्य	
(6)	भारसाधक सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य	
(7)	भारसाधक सचिव, खनिज संसाधन विभाग	सदस्य	
(8)	भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य	
(9)	प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग	सदस्य–सचिव	
(10)	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य	
(11)	सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल	सदस्य	
(12)	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड (एनसीसीआर) रायपुर	सदस्य सचिव	
(13)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य	
(14)	छत्तीसगढ राज्य में भू-जल प्रबंधन का दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे)	सदस्य	
(15)	भू-जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/	सदस्य	

सामाजिक क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे)

(3) विषय विशेषज्ञ और सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाये।

(4) प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण की ओर से नोडल कार्यपालिक अधिकारी होगा।

(5) प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, छत्तीागढ़, कार्यालय, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(6) राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे,–

(क) धारा 8 के अधीन यथा उपबंधित भू–जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करना;

(ख) धारा 10 के अधीन यथा उपबंधित भू–जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को गैर–अधिसूचित करना;

(ग) धारा 13 के अधीन यथा उपबंधित भू–जल निष्कर्षण

की सीमाओं को नियत करना;

(घ) गैर–अधिसूचित/अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक/वाणिज्यिक/खनन उद्देश्य हेतु भू–जल निष्कर्षण हेतु अनुमति देना;

(ड.) भू–जल निष्कर्षण हेतु कर एकत्र करना; तथा

(च) भू–जल उपयोग की निगरानी और प्रबंधन हेतु तकनीक विकसित करना एवं नवीनतम तकनीक अपनाना;

(छ) राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेंगी किन्तु आवश्यक होने पर अधिक बैठकों का आयोजन भी किया जा सकेगा ।

(7) राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कर्मचारीगण,–

(क) राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को अपने कृत्यों का समुचित निष्पादन करने या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार उतनी संख्या में प्राविधिक कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारीगण की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वह संस्थागत सहायता, सुविधाओं तथा बजट सहित आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के कृत्य, सेवा के निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाये;

(ग) राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा;

(8) अन्य समुचित निकायों के लिए सहायता:– जिला परिषद् को निर्विघ्न और सम्यक् रूप से कार्य करने के लिए कर्मचारी वर्ग तथा कार्यालय के साथ ही साथ समस्त संस्थागत सहायता तथा कार्य सुविधाओं, बजट सबंधी अपेक्षाओं के लिए भी उपबंध किये जायेंगे।

जिला भू–जल प्रबंधन परिषद्.

4. (1) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद् का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भू–जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र इकाई होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) अध्यक्ष– कलेक्टर;

(ख) उपाध्यक्ष – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत;

(ग) सदस्य सचिव– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जिला मुख्यालय;

(घ) भू-जल के क्षेत्र में दीर्घकालीन कार्य करने का अनुभव/ज्ञान रखने वाले विषय विशेषज्ञ के रूप में दो सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ड.) अन्य सदस्य, जिला स्तरीय प्रतिनिधि होंगे यथा संभागीय वन अधिकारी, वन सहायक भू–जलविद,

जिला भू–जल सर्वेक्षण इकाई, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, उप संचालक, कृषि विभाग, आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जिला मुख्यालय (स्थानीय निकाय) के नगर निगम/नगरपालिका, महाप्रबंधक/उप निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (प्रत्येक में से एक)।

(2) भू–जल के नामित विषय विशेषज्ञ सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाये।

(3) जिला भू-जल प्रबंधन परिषद के कृत्य निम्नलिखित होंगे,–

(क) सूक्ष्म जल विभाजक पद्धति पर आधारित और यथा विहित मार्गदर्शन के अनुसार जिला स्तरीय भू-जल सुरक्षा योजना का समेकन करना;

(ख) जिला भू-जल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन;

(ग) जिला भू-जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(घ) जल जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(ङ) अधिसूचित और गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक तथा थोक उपयोगकर्ता को पंजीकृत करना;

(च) अधिसूंचित/ गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल निष्कर्षण हेतु अनुमति की अनुशंसा करना;

(छ) वेधन अभिकरणों/वेधन रीग मशीन को पंजीकृत करना;

(ज) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाये या समनुदेशित किया जाये;

(झ) राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ञ) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद् की बैठके आवश्कतानुसार आयोजित की जायेंगी ।

विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति.

5. (1) विकासखण्ड में भू-जल के घरेलू और कृषि के सभी वर्तमान/नवीन उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण हेतु विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) अध्यक्ष– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित विकासखंड;

(ख) सदस्य सचिव–अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग संबंधित विकासखंड;

(ग) अन्य सदस्य कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, उद्योग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग तथा वन विभाग के (प्रत्येक में से एक) विकासखंड स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

(2) विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) जल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना,

(ख) विकासखंड अंतर्गत अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित क्षेत्रों के भू–जल के घरेलू और कृषि के वर्तमान और नवीन उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण का कार्य पंचायत स्तर पर करेगी, जैसा कि विहित किया जाये;

(ग) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय या समनुदेशित किया जाये;

(घ) विकासखण्ड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति की बैठके आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेंगी ।

अध्याय–तीन

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

भू–जल विंग के कर्तव्य.

6. (1) जल संसाधन विभाग, जिला भू-जल प्रबंधन परिषद् के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करेगा।

(2) जल संसाधन विभाग, भू–जल से संबंधित आंकडों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन का प्रकाशन का कार्य करेगा।

(3) भू-जल के विनियमन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण:– राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, यथा जल संसाधन विभाग और केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा किये गये नवीनतम भू–जल संसाधन प्राक्कलन के अनुसार श्रेणीकृत अतिदोहित तथा संकटग्रस्त खण्डों और संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों (जहाँ भू-जल स्तरों में महत्वपूर्ण ह्रास हुआ हो) भू-जल के समग्र प्रबंधन तथा विनियमन हेतु समुचित उपाय करने के लिए उक्त संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों को अभिनिर्धारित तथा चिन्हांकित करेगा;

(4) भू–जल सूचना/आंकड़े:–अतिदोहित/संकटमय खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों से सम्बंधित समस्त उपलब्ध भू–जल सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराये जायेंगे।

अध्याय–चार
शक्तियाँ और कृत्य

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन

7 (1) राज्य भूजल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति, जैसा कि वह आवश्यक समझे, को समस्त शक्तियों या कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(2) अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भू–जल उपयोगकर्ता तथा बेधन अभिकरणों के लिए प्रत्येक समुचित निकाय की शक्ति वहीं होगी, जैसा कि विहित की जाये।

भू–जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिये क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ.

8 (1) जहाँ (जल संसाधन विभाग की जानकारियों पर आधारित) सक्षम निकायों से परामर्श करने के पश्चात राज्य भू–जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में किसी रूप में विभिन्न प्रयोजनार्थ भू–जल का प्रबंधन एवं विनियमन करना और वर्षा जल संचयन/ भू–जल पुनर्भरण को प्रवर्तित करना तथा अतिदोहित/संकटग्रस्त खण्डों एवं संकटमय नगरीय क्षेत्रों (जल संसाधन विभाग द्वारा यथा अभिज्ञानित/चिन्हांकित) जहाँ भू–जल स्तर संकटग्रस्त या चिन्ताजनक स्तरों तक पहुंच गये हों, में विभिन्न समुचित जल संरक्षण/जल बचत/जल दक्ष पद्धतियों को क्रियान्वित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन हो, वहाँ वह राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाये, यह परामर्श देगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से अधिसूचित क्षेत्र घोषित करे:

परन्तु यह कि, –

(क) इस उप–धारा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक, ऐसे अवधि से पूर्वतर नहीं होगा, जैसा कि राज्य भू–जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा परामर्श दिया जाये;

(ख) इस धारा के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त व्यापक प्रसार किया जायेगा;

(ग) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया, ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की, अद्यतन भू–गर्भ जल निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार, समय–समय पर, रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, समीक्षा की जायेगी ।

अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और थोक भूजल उपयोगकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण.

9 (1) विद्यमान एवं भावी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और थोक भू–जल उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये;

(2) उप–धारा (1) में उल्लिखित उपयोगकर्ताओं से भिन्न भू–जल के प्रत्येक विद्यमान एवं भावी उपयोगकर्ता, जिसमें भू–जल के घरेलू या कृषि उपयोगकर्ता शामिल है, का पंजीकरण ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध.

10 अधिसूचित क्षेत्रों में, जैसा कि विहित किया जाये, पेय जलापूर्ति तथा वृक्षारोपण के सरकारी योजनाओं के सिवाय, नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध होगा, ऐसा प्रतिबन्ध तब तक जारी रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श पर उक्त क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है, जैसा कि विहित किया जाये।

अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं का तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन.

11 अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल संसाधनों के अविरतता को सुनिश्चित करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए भू–जल सुरक्षा योजनाएँ ऐसी रीति से तैयार किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये। ।

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल निकालने के प्राधिकार को स्वीकृत किया जाना.

12 गैर अधिसूचित क्षेत्र में भू–जल निकालने के प्राधिकार की स्वीकृति ऐसी संबंधित नियमों के तहत विनियमित होंगी, जैसा कि विहित किया जाये;

वाणिज्यिक, औद्योगिक अवसंरचनात्मक खनन, थोक भू–जल उपयोगकर्ताओं हेतु भूजल निकालने की सीमा नियत किया जाना तथा आदेशों एवं निर्देशों इत्यादि की तामिली.

13 (1) राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग के परामर्श से भू–जल निकालने की सीमा नियत कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश को उसी रीति से तामील किया जायेगा, जैसा कि इस अधिनियम में विहित किया जाये;

भूजल निकासी / निष्कर्षण पर शुल्क.

14 (1) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, खनन या थोक भू जल उपयोगकर्ता, जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में उक्त उपयोगकर्ता के रूप में निर्दिष्ट है, दोनों अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल निकासी करेगा, उससे ऐसा करारोपण शुल्क उद्गृहित किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट करारोपण शुल्क, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का सं. 36) के अधीन प्रभारित जल उपकर के अतिरिक्त-होगी।

(3) निकाले गये भूजल की मात्रा को मापने तथा उसे अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ उक्त प्रत्येक उपयोगकर्ता, ऐसे मीटर संस्थापित करेंगे, जैसा कि विहित किया जाये ।

15 राज्य भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, जब इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत हों या उनका कार्यरत होना आशयित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझें जायेंगे। प्राधिकरण के कर्मचारी, लोक सेवक होंगे.

16 इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या सरकार के किसी समुचित निकाय, किसी अन्य अधिकारी या किसी समुचित निकाय के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई अभियोजन, वाद या किसी नुकसान/मुआवजा का दावा अथवा अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी। सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

17 (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अधिकारिता क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी क्रियाकलापों के सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं के प्रभाव को आंकलित करने का उपक्रम करें। समाघात निर्धारण.

(2) उप–धारा (1) के अधीन किये गये क्रियाकलापों के प्रभावों के आकलन संबंधी सूचनाएँ, सार्वजनिक रूप में पहुंच हेतु इंटरनेट पर रखी जाएगी।

अध्याय–पाँच
उल्लंघन, अपराध एवं शस्तियाँ

18 समुचित निकाय में रजिस्ट्रीकरण के बिना, कोई व्यक्ति या फर्म, अभिकरण या कंपनी भू–जल निकालने हेतु भूमि का न तो बेधन करेगा और न ही उस कार्य में संलग्न होगा। बेधन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण.

19 (1) जो कोई, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये किसी नियम या जारी की गई किसी अधिसूचना या किये गये किसी आदेश के, या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा–पत्र के उल्लंघन में –
(क) नवीन कूंआ/नलकूप खनन करता है ; या विधि विरुद्ध खनन, भू–जल निकासी, आपूर्ति, विक्रय, उपयोग, आदि के लिए अपराध

एवं शास्ति.

(ख) कच्चे असंसाधित अनुपचारित भू–जल का निष्कर्षण, विक्रय या आपूर्ति करता है; या

(ग) भू–जल का किसी टैंकर, पात्र इत्यादि से जलापूर्ति करता है; या

(घ) किसी समुचित निकाय, अथवा राज्य शासन या राज्य भू–जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों के प्रयोग करने में बाधा डालता हैं ; या

(ड.) किसी असफल, अधूरे अथवा अनुपयोगी कूप, जो उसके स्वामित्व का है, को सुरक्षित करने की इस प्रकार अवहेलना करेगा, जिससे जन अथवा पशु की मृत्यु/उपहति कारित होने की संभावना हो;

वह उप–धारा (2) के प्रावधानों के अध्ययीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो रु. 5000/– से कम का नहीं होगा किन्तु जो रु. 10000/– तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगाः.

परन्तु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो रु0 10000/– से कम नहीं होगी और जो रु0 15,000/– तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उप–धारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) अथवा (घ) के अंतर्गत आने वाले कोई अपराध किसी वाणिज्यिक उपयोगकर्ता, औद्यागिक उपयोगकर्ता, अवसंरचनात्मक उपयोगकर्ता एवं बहुउपपयोगकर्ता के द्वारा कारित किया जाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो रु॰ 10000/– से कम का नहीं होगा किन्तु जो रु॰ 25000/– तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगाः

परन्तु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ति समय पर सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं

होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो रु0 20000/– से कम नहीं होगी और जो रु0 50,000/– तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा;

(3) जब उप–धारा (1) या (2) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो भू–जल निष्कर्षण हेतु जारी की गई अनुमति/अनुज्ञप्ति, तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जा सकेंगे।

(4) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है तो सहायक अभियंता की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इस प्रकार अपराध कारित करने में प्रयुक्त मशीन, उपकरण, औजार, वाहन, पात्र या कोई अन्य वस्तु को जप्त कर सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी सम्पति का अभिग्रहण करने वाला कोई अधिकारी, ऐसी सभी सम्पत्ति पर उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगाएगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण किया गया है और सम्पत्ति की अभिग्रहण रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(6) (एक) जब कार्यपालन अभियंता के समक्ष ऐसा कोई अभिग्रहण रिपोर्ट, प्रकरण की जांच के दौरान किन्तु न्यायालय में परिवाद दाखिले के पूर्व, प्रस्तुत किया जाता है, तो कार्यपालन अभियंता, ऐसी अभिग्रहित संम्पत्ति की उचित अभिरक्षा हेतु प्रकरण की जांच अथवा विचारण की लंबित अवधि तक के लिए ऐसा समुचित आदेश कर सकेगा, जैसा कि उचित समझे । तथापि, यदि कार्यपालन अभियंता की राय हो कि ऐसी संपत्ति की अंतरिम अभिरक्षा के लिये आदेश किया जाना उपयुक्त नहीं है तो वह ऐसी संपत्ति के राजसात के आदेश के लिये कलेक्टर के समक्ष रिपोर्ट को निर्दिष्ट कर सकेगा;

(दो) यदि कार्यपालन अभियंता या इस हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित परिवाद प्रस्तुत कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में, सम्पत्ति के व्ययन के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की अध्याय–चौतीस के प्रावधान लागू होंगे।

20 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी – अपराधों का संज्ञान.

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होंगे;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध का, कोई भी न्यायालय

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग अथवा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिखित परिवाद के बिना, प्रसंज्ञान नहीं लेगा;

(ग) जब कोई अपराध धारा 19 के अधीन किया गया पाया जाता है, तो कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कार्यपालन अभियंता के समक्ष उपस्थित होने के लिये अभियुक्त को नोटिस जारी करेगा तथा इस प्रकार कारित अपराध का प्रशमन नोटिस के 30 दिनों के भीतर किया जायेगा । यदि अभियुक्त प्रशमन की प्रकिया के लिये उपस्थित नहीं होता है तो कार्यपालन अभियंता द्वारा नोटिस के तामिल होने की तिथि के एक माह के भीतर लिखित परिवाद किया जायेगा; परन्तु यह कि परिवाद का संज्ञान विहित अवधि के पश्चात् न्यायालय द्वारा लिया जा सकेगा, यदि परिवादी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास विहित अवधि के भीतर परिवाद प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है;

(घ) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नही करेगा ।

अपराधों का प्रशमन. 21 (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, कार्यपालन अभियंता की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारियों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, अभियुक्त के आवेदन पर, प्रशमन किया जा सकेगा;

जब प्रशमन के लिये आवेदन, ऐसे प्रशमन के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रशमन शुल्क अधिरोपित करने तथा शासन के हित में जमा करने के पश्चात्, किया जा सकेगा जो रु0 20,000/– से कम नहीं होगा किन्तु रु. 10 लाख तथा जल कर एवं अन्य उपकर आदि सहित निर्धारित अधिकतम जुर्माने का 50%, जैसा कि मात्रा अनुरुप लागू हो, से अधिक नहीं होगा ।

(2) धारा 21 की उप–धारा (1) में वर्णित प्रत्येक अधिकारी, समुचित निकाय के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुये अपराध के प्रशमन के लिये प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(3) अपराधों के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररुप में एवं ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये ।

(4) जहां किसी अपराध का प्रशमन अभियोजन संस्थित करने के पूर्व किया जाता हो, वहां अपराधी, जिसके संबंध में इस प्रकार अपराध का प्रशमन किया

गया हो, के विरुद्ध, ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा ।

(5) जहाँ किसी अपराध का प्रशमन अभियोजन के संस्थित करने के पश्चात् किया जाता हो, वहाँ ऐसा प्रशमन, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा न्यायालय, जिसमें अभियोजन लंबित है, के संज्ञान में, लिखित में, लाया जाएगा तथा अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना दिये जाने पर, व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया गया है, निर्मुक्त अथवा दोषमुक्त हो जायेगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध.

22 (1) जब कभी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया गया हो, तब प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जायेगा ।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कंपनी के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया हो या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हो गया हो, वहां ऐसा निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा।

भू–जल षिकायत निवारण अधिकारी.

23. जिला कलेक्टर, जिला भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जिला भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील राज्य भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में, जिला भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के 60 दिन के भीतर, किया जायेगा।

अध्याय–छः
प्रकीर्ण

समुचित निकाय को सूचना मांगने की शक्ति.

24. राज्य भू–जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण और जिला भू–जल प्रबंधन परिषदों के पास राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना, जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो, मांगने की शक्ति होगी और ऐसा विभाग या व्यक्ति, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगी।

स्वतः विनियमन.

25 (1) अधिसूचित क्षेत्रों (ग्रामीण) के भू–जल उपयोगकर्ताओं को स्वतः विनियमन, वर्षा जल संचयन, भू–जल पुनर्भरण, पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग, जल भराव के निवारण की प्रक्रिया को अंगीकृत करने के लिए समुचित निकाय द्वारा प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(2) ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में भू–जल के प्रत्येक उपयोगकर्ता को, मितव्ययिता एवं दक्षतापूर्वक भू–जल निकालने और उसका उपयोग करने, जल अपव्यय को रोकने, पुनर्चालित किए गए जल का प्राथमिकता पर प्रयोग करने, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

(3) भूवैज्ञानिक शर्तों के अनुसार वर्षा जल संचयन और जलागम संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे, जो कि जल सुरक्षा योजनाओं का अभिन्न अंग होगा।

पूर्व विद्यमान अधिकार.

26 (1) भू–जल उपयोगकर्ता के पूर्व–विद्यमान अधिकार, ऐसे अवधि के लिए विधिमान्य रहना जारी रहेंगे, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) भू–जल उपयोगकर्ता, किन्हीं विधिक या अन्य अधिकारों, जो इस अधिनियम के अधीन समाप्त हो गए हैं, के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भू–जल संवर्धन कोष.

27 राज्य सरकार द्वारा भू–जल संरक्षण कोष नामक एक निधि का सृजन किया गया है और शास्तियों, पंजीकरण फीस तथा भू–जल निष्कर्षण/निकासी का शुल्क/करारोपण शुल्क आदि की समस्त लेखा प्राप्तियां, इस निधि में जमा की जाएगी। निधि का ऐसा उपयोग किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.

28 (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के उपरांत, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

राज्य सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति.

29 राज्य सरकार, राज्य भू–जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की अनुशंसा पर, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता के वर्ग को इस अधिनियम के किसी उपबंध से, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये, छूट प्रदान कर सकेगी।

अधिनियम का अन्य नियमों पर प्रभाव.

30. (1) तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध, अभिभावी होंगे।

(2) पेयजल परीरक्षण अधिनियम के द्वारा राज्य/जिला प्राधिकरणों को प्रदत्त प्रावधान एंव शक्तियां, इस अधिनियम के किसी प्रावधान से प्रभावित नहीं होंगी।

अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. 11965/डी. 109/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 07–11–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2022)

THE CHHATTISGARH GROUND WATER (MANAGEMENT AND REGULATION) ACT, 2022.

INDEX

Sections	Particulars
	CHAPTER-I
	PRELIMINARY
1.	Short title, extent, commencement and application.
2.	Definitions.
	CHAPTER-II
	INSTITUTIONAL FRAMEWORK
3.	State Ground Water Management and Regulatory Authority.
4.	District Ground Water Management Council.
5.	Block Level Ground Water User Registration Committee.
	CHAPTER-III
	DUTIES AND RESPONSIBILITIES
6.	Duties of Ground Water wing.

CHAPTER-IV
POWERS AND FUNCTIONS

7. Delegation of powers and duties.

8. Powers to notify areas for management and regulation of ground water resources.

9. Registration of Existing Commercial, Industrial, infrastructural and Bulk Users of Ground Water in Notified and Non-notified Areas.

10. Ban on new well construction in notified areas.

11. Preparation and implementation of Ground Water Security Plans in notified areas.

12. Grant of Authorization for Ground Water abstraction in Non-notified Areas.

13. Fixing of limit for abstraction of Ground Water for Commercial, Industrial, Infrastructural, mining or Bulk users of Ground Water, and service of orders or directions, etc.

14. Levy on Ground Water Extraction/Withdrawal.

15. Employees of the Authority to be Public Servant.

16. Protection against action taken in good faith.

17. Impact Assessment.

CHAPTER-V
VIOLATION, OFFENCES AND PENALTIES

18. Registration of drilling agencies.

19. Offences and penalties for unlawful tube-well drilling, ground water abstraction, supply, sell or usage.

20. Cognizance of offence.
21. Compounding of offences.
22. Offences by companies.
23. Ground water grievance redressal officer.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

24. Powers of the appropriate body to call for information.

25. Self-regulation.

26. Pre-existing rights.

27. Ground Water Conservation Fund.

28.. Power of the State Government to make rules.

29. Power of the State Government to exempt.

30. Effect of this Act on other laws.

CHHATTISGARH ACT

(No. 18 of 2022)

THE CHHATTISGARH GROUND WATER (MANAGEMENT AND REGULATION) ACT, 2022.

An Act to provide for protecting, conserving, controlling and regulating ground water to ensure its sustainable management in the State, both quantitatively and qualitatively, especially in stressed rural and urban areas and for matters connected therewith or incidental thereto;

Whereas, uncontrolled and rapid extraction of ground water has resulted in alarming situation of declining ground water levels and depletion of ground water reservoirs in many parts of the State, both in rural and urban areas;

And whereas, ground water, being the single most important source of water for domestic, agricultural and industrial uses, is the backbone of drinking water, food and livelihood security in rural and urban areas;

And whereas, a serious ground water crisis prevails due to excessive overdraft and ground water contamination;

And whereas, development of ground water is the need of the State, its management, control and regulation specially in over-exploited and critical areas is also the need of the hour for protection and preservation of this precious resource.

And whereas, it is also expedient to provide for conservation, protection and development of ground water resources for the purpose of proper augmentation/recharge of ground water in stressed areas and to prevent ground water pollution by maintaining or restoring wholesomeness of ground water quality thereof in the State;

And whereas, the equitable and environmentally sound regulation of ground water can contribute to tackling some of the most important challenges of our times, including climate change;

And whereas, water is unitary in nature, requiring the integration of surface water and ground water, has integral links to land and vegetation and has an intricate relationship with rainwater (through natural recharge);

And whereas, ground water is the common heritage of the people, it is essential for the sustenance of life in all its forms; an integral part of the ecological system;

And whereas, ground water in its natural state is a common pool resource and the Supreme Court of India has applied the public trust doctrine to ground water, in recognition that private property rights in ground water are inappropriate given the emerging status, conflicts and dynamics of ground water;

And whereas, the State Government has, after careful examination of all related aspects, decided that it is expedient and necessary in the public interest to manage and regulate the extraction and use of ground water judiciously in any form and also

to conserve and protect ground water in the stressed areas of the State and that shall be accorded the highest priority in both planning and management;

And whereas, a new legal framework (with norms, principles, procedures and institutions suitable to address contemporary and imminent challenges) is required to ensure the qualitative and quantitative sustainability of ground water resources and equity in groundwater use;

And whereas, the State Government has, after careful examination of all related aspects, decided that in the public interest the first right to use of ground water would be for drinking, domestic and cattle use.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent commencement and application.

1. **(1)** This Act may be called the Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by

notification in the Official Gazette, appoint and different dates for different provisions may be appointed.

(4) Penal provisions made under this Act shall not be applicable on domestic and agricultural users of ground water.

Definitions. **2.** **(1)** In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "**Appropriate Body**" means State Ground Water Management and Regulatory Authority, District Ground Water Management Council and Block Level Ground Water User Registration Committee, in the relevant context wherever it is mentioned;

(b) "**Aquifer**" means an underground layer of geological formation, group of formations or part of a formation, comprising fractured rocks, sand, gravel and like sediments, that is sufficiently porous, permeable and saturated with water and that transmits/

accepts, store and yields significant quantity of water to a well or spring;

(c) "**Bhoojal Samiti**" means group of persons constituted in every district of Chhattisgarh for carrying out ground water awareness programs;

(d) "**Bulk user**" means a person or a group of persons including any establishment such as hotels/ lodges/hostel/private residential buildings/housing colonies/ resorts/private hospitals/nursing homes/business complexes/ malls/water parks, which extract and use ground water for the purpose of his or her or their operational water needs;

(e) "**Central Ground Water Board**" means the Central Ground Water Board, Government of India;

(f) "**Commercial user**" means a person or a group of persons including any institution or any agency or any establishment, who

or which extract and use ground water for the purpose which directly or indirectly benefits his/her or their business or trade to make financial gain or profit;

(g)"**District Ground Water Management Council**" means the District Ground Water Management Council constituted under Section 4;

(h)"**Drilling Agency**" means an establishment, owned by a person or a class of persons or an institution, who or which is involved as a part of trade thereof drilling wells/ tube wells for extracting and use of ground water for any purpose such as domestic/ drinking/commercial/industrial/ bulk/infrastructure use;

(i) "**Environmental flows**" refer to the quality, quantity and timing of water flows required to maintain the components, functions, processes and resilience of a aquatic ecosystems that provide

goods and services to people, flora and fauna;

(j) "**Ground Water Department**" means the department of Water Resources under The Government of Chhattisgarh which is also related to Ground Water related activities;

(k) "**Ground Water Quality Sensitive Zone**" means such an area where quality of ground water is affected with high levels/excessive concentration of chemical elements, physio-chemical constituents, heavy metals and bacteriological contamination, resulted due to geogenic or anthropogenic causes;

(l) "**Ground Water Resource Estimation Report**" refers to the latest approved report, based on the Ground Water Estimation Committee methodology, prepared by the Ground Water Department (Water Resource Department), Chhattisgarh and Central Ground

Water Board for block-wise assessment of ground water resources including categorization of blocks into over-exploited, critical, semi-critical and safe categories;

(m) "**Ground Water Security Plan**" means a plan to be progressively based on available hydro-geological information and shall include such measures/ interventions which are area specific and hydro-geologically feasible;

(n) "**Ground Water**" means the water occurring in its natural state below the ground surface in the zone of saturation, aquifer or any other sub-surface formation and that can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;

(o) "**Industry**" means any business, trade, undertakings, manufacture or calling of employers, carried out

with a motive to make any gain or profit and includes any calling service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workman or any systematic activity carried on by co-operation between an employer and his workman (whether such workman are employed by such employer directly or by or through any agency including a contractor) for the production of goods;

(p) "**Infrastructural user**" means a person or a group of persons including a firm or any company, who or which extract and use ground water for the purpose of carrying out such activities/ projects which are directly related to infrastructural development;

(q)"**Jila Panchayat**" means Jila Panchayat of district in the State of Chhattisgarh;

(r) **"Notified area"** means the area notified as such under Section 6 which includes over-exploited,

Critical blocks and Stressed Urban Areas;

(s) "**Pollution**" means such contamination of ground water or surface water or such alteration of the physical, chemical or biological properties of water or such discharge of any Sewage, Plastic, Thermocol or trade effluent or of any other liquid, gaseous or solid substance into ground water (whether directly or indirectly) as may, or is likely to, create a nuisance or render such ground water harmful or injurious to public health or safety or to domestic, commercial, industrial, agricultural or other legitimate uses, or to the life and health of animals or plants or of aquatic organisms;

(t) "**Rainwater harvesting**" means the technique or system of collection and storage of rainwater, at micro watershed scale, including roof-top harvesting, for

storage or for recharge of ground water;

(u) "**Rural Areas"** means those areas which are not classified as Urban Areas;

(v) "**State Ground Water Management and Regulatory Authority**" means the Chhattisgarh State Ground Water Management and Regulatory Authority established under Section 3;

(w) "**Urban Areas**" means the areas notified by a competent authority or a municipality or a regulatory body as the case may be, excluding such areas/lands as are classified for agriculture use in the master plan of a development authority or a municipality or a regulated area;

(x) "**User of ground water**" means a person or a class of persons or an institution who or which own or use or sell ground water for any purpose including domestic use

made either on personal or community basis and includes an industry, a commercial user, a bulk user, a company or an establishment whether Government or Private but does not include a person or a class of persons or an institution who or which use water drawn from open well including traditional structures like Kuan, Dhodi, Bawadi, etc. by manual or animal devices such as hand pump, rope and bucket, persian wheel, etc.;

(y) "**Water and Sanitation Committee**" means a committee formed in Gram Panchayat, Nagar Panchayat/ Palika/ Nigam for planning, monitoring, implementation and maintenance of water and sanitation schemes;

(z) "**Water User Association**" means a group of persons constituted at pond level/ tube well or group of tube well level for maintenance

and conservation of ponds/tube well or group of tube wells;

(aa)"**Well**" means a structure sunk for the search or extraction or recharge of ground water for any purpose and shall include open well, dug well, bore well, dug-cum bore well, tube well, infiltration gallery, recharge well or any of their combination or variation, which could be utilized for extraction of ground water or recharge of ground water.

(2) Words and expressions used in this Act, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in any other law in this regard in force as the case may be.

CHAPTER-II

INSTITUTIONAL FRAMEWORK

3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish, with effect from such date as may be specified in the notification, a State Authority to be

State Ground Water Management and Regulatory Authority.

known as the Chhattisgarh State Ground Water Management and Regulatory Authority, District Ground Water Management Council and Block Level Ground Water User Registration Committee.

(2) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall consist of-

(1)	The Chief Secretary	Chairperson
(2)	The Secretary In charge, Water Resources Department	Member
(3)	The Secretary In charge, Finance Department	Member
(4)	The Secretary In charge, Public Health Engineering Department	Member
(5)	The Secretary, In-charge, Agriculture Department	Member
(6)	The Secretary In charge, Industries Department	Member
(7)	The Secretary In charge, Mineral Resources Department	Member
(8)	The Secretary In charge, Urban	Member

	Administration Development Department	
(9)	The Engineer-in-Chief, Water Resources Department	Member-Secretary
(10)	The Engineer-in-Chief, Public Health Engineering Department	Member
(11)	The Member-Secretary, State Environment Conservation Board	Member
(12)	The Regional Director, Central Ground Water Board (NCCR), Raipur	Member
(13)	The Principal Chief Conservator of Forest	Member
(14)	Three Subject Experts having long standing working experience of ground water in the State of Chhattisgarh (to be nominated by the State Government)	Member
(15)	An eminent person from Public/Non-Government organization/ Social Sector working in the field of ground water (to be nominated by	Member

the State Government)

(3) The term of office and the manner of filling the vacancies and other conditions of services of the Subject Experts and Eminent Person from Public/Non- Government Organization /Social Sector shall be such as may be prescribed.

(4) Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Chhattisgarh shall be the Nodal Executive Officer on behalf of the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(5) The office of the Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Chhattisgarh, Shivnath Bhawan, Nava Raipur shall work as the Secretariat of the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(6) The functions of the State Ground Water Management and Regulatory

Authority shall be,-

(a) to notify the areas for management and regulation of ground water resources as provided under Section 8;

(b) to de-notify the areas for management and regulation of ground water resources as provided under Section 10;

(c) to fix ground water abstraction limits as provided under Section 13;

(d) to grant permission for ground water abstraction for industrial/ commercial/mining purposes in non-notified/notified areas;

(e) To collect levy for ground water abstraction; and

(f) To develop and adopt updated technology for monitoring and Management mechanism for ground water uses.

(g) The Meetings of the state ground water management and regulatory authority shall be organised at least twice in a year

or more times as may be deemed necessary.

(7) Staff of the State Ground Water Management and Regulatory Authority, -

(a) To enable the State Ground Water Management and Regulatory Authority to perform its functions properly or exercise the powers under this Act, the State Government may appoint such number of technical personnel and other staff as it may consider necessary including all institutional support, facilities and the budget;

(b) The functions, terms and conditions of service of such employees shall be such as may be prescribed;

(c) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall function under the overall control and supervision of the State

Government.

(8) Support for other Appropriate Bodies:- Provisions shall also be made for the staff and Office including all institutional support and working facilities, budgetary requirements for the District Council for smooth and proper functioning.

4. (1) District Ground Water Management Council shall be constituted and shall be an overall unit for management of ground water resources at district level, which shall consist of - **District Ground Water Management Council.**

(a) Chairperson – Collector

(b) Vice Chairperson – Chief Executive Officer, Jila Panchayat

(c) Member-Secretary – Executive Engineer, Water Resources Division of the District Headquarters;

(d) Two Members as subject Expert having longstanding working experience/knowledge in the field of Ground water, to be nominated by the Chairperson;

(e) Other Members shall be the District Level Representatives (one each), Divisional Forest Officer, Forest Assistant Geohydrologist, District Ground Water Survey Unit, Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Deputy Director, Agriculture Department, Commissioner/ CMO, Nagar Nigam/Nagar Palika of District Headquarters (Local Body), General Manager/ Deputy Director, District Industry Center, Executive Engineer, Public Health Engineering Division.

(2) The terms and conditions of the service of the nominated subject expert of ground water members shall be such as may be prescribed.

(3) The functions of the District Ground Water Management Council shall be,-

(a) to consolidate District Level Ground Water Security Plan, based on macro-watershed approach and as per the guidelines as may be prescribed;

(b) implementation of District Ground Water Security Plan;

(c) to monitor the implementation of District Ground Water Security Plan;

(d) to conduct water awareness program;

(e) to register all existing commercial, industrial, infrastructure and bulk users in notified and non-notified areas ;

(f) to recommend grant of permission for ground water abstraction in notified/non-notified areas;

(g) registration of Drilling Agencies/ Drilling Rig

Machine;

(h) to carry out such other functions, as may be prescribed or assigned by the State Ground Water Management and Regulatory Authority;

(i) to co-ordinate with the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(j) The meetings of the district ground water council may be organised as considered necessary.

Block Level Ground Water User Registration Committee.

5. (1) A Block Level Ground Water User Registration Committee, shall be constituted which will register all existing/new domestic and agriculture ground water users in the block, which shall consist of –

(a)The Chairperson – Chief Executive Officer, Janpad panchayat of the block;

(b) Member-Secretary – Sub-Divisional Officer, Water

Resources, Sub-Division of block;

(c) Other Members shall be the Block Level Representatives (one each) from Agriculture, Panchayat and Rural Development, Industries, Public Health and Engineering and Forest;

(2) Functions of Block Level Ground Water User Registration Committee, shall be, -

(a) to conduct water awareness program;

(b) to register all existing / new domestic, agriculture Ground water user of non-notified and notified areas of block at the punchayat level by the procedure as may be prescribed and

(c) to carry out such other functions, as may be prescribed or assigned by the Authority.

(d) The meetings of the the Block level Ground Water User

Registration Committee may be organised as considered necessary.

CHAPTER-III

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties of Water Resources Department.

6. (1) The Water Resources Department shall develop a mechanism to co-ordinate with the District Ground Water Management Council.

(2) The Water Resources Department will collect ground water related data, publish report and analyses the data.

(3) Identification of areas for the purpose of regulating ground water:- The Water Resources Department in consultation with the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall identify and delineate the areas, such as over-exploited and critical blocks categorized as per latest Ground Water Resource Estimation carried out by the Water Resources Department and Central Ground Water Board. It shall also identify and delineate the water

stressed Municipal/Urban areas (where significant decline of ground water levels) for taking up appropriate measures for overall management and regulation of ground water in such areas.

(4) Ground Water Information/ Data:- All the available ground water information/data regarding over-exploited/critical blocks and water stressed urban areas shall be shared.

CHAPTER-IV
POWERS AND FUNCTIONS

7. (1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority may delegate, by general or special order in writing, all or any of the powers or duties to such persons as may be deemed necessary. **Delegation of powers and duties.**

(2) The power of every Appropriate body for any ground water user and drilling agencies in notified and non-notified areas shall be such as may be prescribed.

deemed necessary.

Registration of Existing Commercial, Industrial, infra structural and Bulk Users of Ground Water in Notified and Non-notified Areas.

9. (1) Registration of existing and future commercial, industrial, infrastructural and bulk users of Ground Water is mandatory and shall be done in such manner as may be prescribed.

(2) Every existing and future user of ground water other than those mentioned in sub-section (1), including domestic and agriculture users of ground water shall be registered as may be prescribed.

Ban on new well construction in notified areas.

10. There shall be Ban on new well construction in notified areas as may be prescribed except for Government schemes for drinking water supplies and tree plantations. Such ban shall continue till the area is de-notified by the State Government on advice of State Ground Water Management and Regulatory Authority as may be

specified in the notification:

Provided that,-

(a) the date specified in the notification under this sub-section shall not be earlier than the advice given by the State Ground Water Management and Regulatory Authority;

(b) every notification under this Section shall be widely circulated in Hindi as well as in English, in addition to its publication in the Official Gazette.

(c) the Procedure for Demarcation and issuance of notification of the areas referred in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(2) The notification issued under sub-section (1) shall be reviewed periodically as per the new Ground Water Assessment Report and according to the findings of the report, in such manner as may be

deemed necessary.

Registration of Existing Commercial, Industrial, infra structural and Bulk Users of Ground Water in Notified and Non-notified Areas.

9. (1) Registration of existing and future commercial, industrial, infrastructural and bulk users of Ground Water is mandatory and shall be done in such manner as may be prescribed.

(2) Every existing and future user of ground water other than those mentioned in sub-section (1), including domestic and agriculture users of ground water shall be registered as may be prescribed.

Ban on new well construction in notified areas.

10. There shall be Ban on new well construction in notified areas as may be prescribed except for Government schemes for drinking water supplies and tree plantations. Such ban shall continue till the area is de-notified by the State Government on advice of State Ground Water Management and Regulatory Authority as may be

prescribed.

11. For ensuring and achieving sustainability of ground water resources in the notified areas. Ground Water Security Plans shall be prepared in such manner as may be prescribed. **Preparation and implementation of Ground Water Security Plans in notified areas.**

12. Grant of Authorization for Ground Water abstraction in Non-notified Areas shall be regulated under the relevant rule as may be prescribed. **Grant of Authorization for Ground Water abstraction in Non-notified Areas.**

13. (1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority may limit the abstraction of ground water in consultation with the Water Resources Department. **Fixing of limit for abstraction of Ground Water for Commercial, Industrial, Infrastructural, Mining or Bulk users of ground water, and service of orders or directions, etc.**

(2) Every order or direction issued under sub-section (1) shall be served in

such a manner as may be prescribed.

Levy on Ground Water Extraction / withdrawal.

14. (1) Commercial, industrial, infrastructural or bulk user of ground water hereinafter in this Section refer to as the said user, shall extract ground water in both the notified and non-notified areas shall be levied fee as may be prescribed.

(2) The levy referred to in sub-section (1) shall be in addition to water cess charged under the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (No. 36 of 1977).

(3) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall install meters as may be prescribed.

Employees of the Authority to be Public Servants.

15. All employees of the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under be deemed to be public servants within the meaning of

Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

16. No prosecution, suit or claim any damage/compensation or other legal proceeding shall be instituted against the State Government, any appropriate body, any other officer of the Government or any member or other employees of any appropriate body for anything done or intended to be done in good faith under this Act, or the rules made thereunder. **Protection against action taken in good faith.**

17. (1) Appropriate body shall undertake impact assessment of both social and environment aspects of such activities to be implemented in the area of their jurisdiction in accordance to the provisions of this Act. **Impact Assessment.**

(2) Information on the Impact Assessment of such activities taken up under this Act in sub-section (1) shall be placed on internet for access by public.

CHAPTER-V

VIOLATION, OFFENCES AND PENALTIES

Registration of drilling agencies.

18. No person or firm, agency or company, shall perform or engage in drilling the ground for extraction of ground water without registration with appropriate body.

Offences and Penalties for unlawful tubewell drilling, ground water abstraction, supply, sell or usage.

19. (1) Whoever in contravention of this act or of any rule, notification or order made, issued or given thereunder, or of any license or permit granted under this act –

(a) constructs any new tubewell/ dug well etc. ; or

(b) extracts, sell or supply of raw unprocessed untreated ground water ; or

(c) supplies ground water in any tanker, vessel, etc. ; or

(d) Obstructs the appropriate body or any other person authorized by the State Government or State Ground Water Management and Regulatory Authority to exercise any of the powers conferred under this Act; or

(e) neglects the security arrangement for any old, incomplete, abandoned or unusefull well owned by him, in such a way that it may cause death/injury to any person or animal ;

shall subject to the provisions of sub-section (2), be punishable for every such offence with imprisonment for a term not less than three months which may extend to one Year years and fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to Ten thousand rupees:

Provided that when any person is convicted under this section of any offence for a second or subsequent time, he shall be punishable for every such offence with imprisonment for a term not less than six month but which may extend to One year and with fine which shall not be less than Ten thousand rupees but which may extend to fifteen thousand rupees.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the offences described in clause (a), clause (b), clause (c) or clause (d) is committed by any commercial user, industrial user, infrastructural user or any bulk user, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six month but which may extend to two years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees but may extend to twenty five thousand rupees:

Provided that when any person is convicted under this Section for an offence for second or subsequent time, he shall be punishable for every such offence with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees.

(3) When an offence covered by sub section (1) or sub section (2) proved to be committed for second or

subsequent time the permission / license issued for ground water abstraction may be cancelled with immediate effect.

(4) When there is reason to believe that any offence under this Act has been committed, officer not below the rank of Assistant Engineer or any other officer authorised under this act by the state government in this behalf may, seize such machine, equipment, tool, vehicle, vessel or any other articles used in committing such offence under the provisions of this Act.

(5) Any officer seizing any property under this section shall place on all such properly a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, produce a report of seizer of the property before the Executive Engineer of the Water Resources Department;

(6) (i) When any seizure report is produced before the Executive Engineer during any inquiry and

before filing of complaint to the court, the executive Engineer may make such order as he thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the inquiry or trial. however if in the opinion of the Executive Engineer that the order for the interim custody of such property is not appropriate, he may refer the report, before the Collector to order the confiscation of such property;

(ii) If the Executive Engineer or any other officer authorised to do so has produced a written complaint before the magistrate, in such case for disposal of property the provisions of Chapter-XXXIV of the criminal procedure code, 1973 (No. 2 of 1974) shall be applicable.

Cognizance of offences.

20. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)—

(a) every offence under this Act shall be non-cognizable and bailable;

(b) no court shall take cognizance of any offence committed under this act without a written complaint by the Executive Engineer, Water Resources Department or any other officer authorised to do so by notification issued by State Government from time to time ;

(c) when any offence is found to be committed under section 19, the Executive Engineer of the Water Resources Department shall issue a notice to the accused to be present before the Executive Engineer and compound for the offence so committed within 30 days from the notice. If the accused have not present for compounding procedure then written complaint may be made by the Executive Engineer within one month of the date on which notice has been served; Provided that the cognizance of a complaint may

be taken by the Court after the prescribed period, if the complainant satisfies the Court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period.

(d) no court inferior to that of a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

Compounding of Offences

21. (1) An offence punishable under this Act may be compounded on the application of the accused before or after the institution of the prosecution. It will be done by an officer not below the rank of Executive Engineer or such officer as notified by the State Government from time to time;

when an application for compounding is so received by the officer authorised to do compounding may after imposing a compounding fee and depositing it in government interest, which shall not be less than

Rs 20,000/- but may not exceed Rs 10 Lakhs and 50% of the maximum fine prescribed with the water tax and other cess etc. as applicable on the quantity.

(2) Every officer referred to in sub section (1) of Section 21 shall exercise the powers to compound an offence subject to the direction, control and supervision of the Appropriate Body.

(3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.

(4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(5) Where the compounding of any offence is made after the institution of any prosecution, such compounding shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the Court in

which prosecution is pending and on such notice of the compounding of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged or acquitted.

Offence by Companies.

22. (1) Whenever an offence under this Act has been committed by a company, every person, who at the time of the commission of offence was in-charge of or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence.

Ground Water Grievance Redressal Officer.

23. The District Collector shall act as District Ground Water Grievance Redressal Officer. An appeal against

the order of District Ground Water Grievance Redressal Officer shall be filed at state ground water Management and Regulatory Authority within a period of 60 days from the date of issuing order by District Ground Water Grievance Redressal officer.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

24. The State Ground Water Management and Regulatory Authority and the District Ground Water Management Councils shall have the power to call for any information from any department of the State Government or any other person, which is required by it in the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Act and such department or person shall be bound to furnish such information. **Power of the appropriate body to call for information.**

25. (1) The Ground Water users of notified areas (Rural) shall be encouraged by the appropriate body for adopting the **Self-regulation.**

process of self regulation, Rain Water Harvesting, Ground Water Recharge, Recycling and Reuse, Prevention of Water logging.

(2) Every user of ground water in both rural and urban areas shall be encouraged to extract and use ground water in an economical and efficient way, avoid waste of water, priority use of recycled water, adopting of rain water harvesting and recharging methods.

(3) Rainwater harvesting and catchment conservation as per geological conditions shall be encouraged and be integral part of Ground Water Security Plans.

Pre-existing rights.

26. (1) Pre-existing rights of a user of ground water will continue to be valid for a period as may be prescribed.

(2) The user of ground water shall not be entitled for any compensation for any legal or other rights that become extinguished under this Act.

Ground Water Conservation

27. The State Government has created a fund known as Ground Water

Conservation Fund (Bhujal Sanrakshan Kosh) and all the receipts on account of penalties, registration fees, fee/levy on ground water abstraction, etc. shall be credited to this fund. The fund shall be utilized as may be prescribed. **Fund.**

28. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. **Power of the State Government to make rules.**

(2) Every rule made by the State Government under this Act, after it is made shall be laid before the State Legislature as soon as may be possible.

29. The State Government on recommendation of the State Ground Water Management and Regulatory Authority may exempt any user or class of users of any specified region for specified period from any provision of this Act. **Power of the State Government to exempt.**

30. (1) Notwithstanding anything contained in any other law of the State for the **Effect of this Act on other Laws.**

time being in force, the provisions of this Act shall prevail.

(2) Provisions and powers conferred by "Paiyjal parirakshan adhiniyam" to State/District authorities shall not be affected by any of the provisions made in this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.